SHRI S.P.M. SYED KHAN: Thank you, Sir. I would like to know from the hon. Minister, apart from the ONGC what are the other companies, including the private ones, which have been permitted by the Government or are under consideration of the Government for allowing them to take the retail business.

SHRI RAM NAIK: There are in all six companies that have applied out of which for four companies, we have given; that is, Reliance Petroleum, we have given 5008 retail outlets, for ESSAR Oil we have given 1700, for ONGC we have given 1100 and for Numaligarh Refinery we have given 510 outlets. So, two companies are in the private sector and the other two are in the public sector. In addition, a foreign company, SHELL, has also applied for 2000 outlets. But we have agreed to it only in principle because they have yet to give a certificate that they have invested in infrastructural activities to the extent of Rs.2,000 crores. As soon as they do it, we will give permission to them also.

पेट्रोल में मिलावट

208. **श्रीमती सविता शारदा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भरसक प्रयासों के बावजूद पेट्रोल में मिलावट को नहीं रोका जा सका है और उपभोक्ताओं से मिलावटी पेट्रोल के कारण कार के इंजनों में आई खराबियों के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोल में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ग्राहकों को स्वच्छ और मिलावट रहित ईंधन की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है।

मिलावट रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए है—

(i) नाफ्था और विलायक नियंत्रण आदेशों को जारी किया जाना;

(ii) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (ए ए सी) की स्थापना;

(iii) तेल विपणन कंपनियों और मिलावट रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण;

(iv) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में संशोधन करना और इस प्रकार इन्हें और अधिक कठोर बनाना;

(v) हेराफरी-रोधक टैंक-ट्रक ताला प्रणाली की शुरुआत;

(vi) मार्कर प्रणाली की शुरुआत के लिए परीक्षण।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को मिलावट के मामलों से निपटने के लिए शक्तिप्रदत्त किया गया है।

तथापि, सरकार को पेट्रोल में मिलावट के बारे में कुछ शिकायतें मिलीं, जिनके परिणामस्वरूप कार के ईंजन सामान्य समय से पहले खराब हो गए। तेल विपणन कंपनियों को यह निदेश दिया गया है कि वे ईंधन की मिलावट, जिससे वाहनों के इंजनों का कार्यनिष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, की संभावना को रोकने के लिए अत्यधिक सतर्क रहे। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी इसके बारे में भी सूचित कर दिया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक जांच पड़ताल करें और मिलावट में संलिप्त पाए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

Adulteration in Petrol

†208. SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that despite its all out efforts adulteration in petrol could not be checked and a large number of complaints of car-engines getting out of order due to adulterated petrol are being received from the consumers;

(b) if so, whether Government have worked out any scheme to initiate stringent action against persons indulging in the adulteration of petrol; and

(c) if so, the details thereof?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK) (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Government is committed to supply clean and unadulterated fuel to customers. In order to prevent adulteration, following steps have been taken:

(i) issuance of Naphtha & Solvents Control Orders,

(ii) establishment of Anti-Adulteration Cell (AAC),

(iii) regular/surprise inspections by Oil Marketing Companies (OMCs) and officials of AAC.

(iv) revision of Marketing Discipline Guidelines making them more stringent,

(v) introduction of new tamper proof tank-locking system,

(vi) trials for introduction of Marker-System.

Under the provisions of various Control Orders issued Section 3 of Essential Commodities Act, State Governments have been empowered to deal with cases of adulteration.

However, some complaints of adulteration in petrol which resulted in premature failure of car engines were received by the Government. Oil Marketing Companies (OMCs) have been directed to be extra vigilant to prevent any possibility of adulteration of fuels which can adversely effect the performance of vehicular engines. Also, State Government have been apprised of the same and requested for necessary investigation and strict against Retail Outlets indulging in the adulteration.

श्रीमती सविता शारदा: धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि अनेक उपाय करने के परिणामस्वरूप पेट्रोल में मिलावट के मामले में कितनी कमी आई है और सरकार ने पेट्रोल में मिलावट करने वाले कितने डीलर्स के लाइसेंस रद्द किए हैं? अभी बहुत सारे प्रदेशों से शिकायतें आ रही हैं कि उसमें घास तेल वगैरह मिक्स किया जाता है ओर कई बार उसमें सरकारी कर्मचारी भी लिप्त पाए गए हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसी मिलावट करने वालों के खिलाफ क्या कोई सख्त कार्रवाई करने का इरादा है?

श्री राम नाईक: मिलावट करने वालों के खिलाफ एसेंशियल कमॉडिटीज ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें तीन महीने से सात वर्ष तक की सजा दी जाती है। तेल कम्पनियां भी

इस पर काम करती हैं और केन्द्र सरकार ने भी इसके लिए एक एन्टी एडल्ट्रेशन सेल बनाया है। यह काम मुख्यतया राज्य सरकार का होता है। यह बात सही है कि कुछ स्थानों पर मिलावट होती है और उसमें मुख्यतया केरोसीन की मिलावट होती है। हम यह कोशिश करते रहते हैं और मैं सदन का भी आहवान करूंगा कि यदि वे भी जानकारी दें कि इन जगहों पर होता है तो वहां पर भी हम कार्रवाई करते रहेंगे।

श्रीमती सविता शारदा: सर, मेरा पूरक प्रश्न है कि वर्ष 2002-2003 में पेट्रोल में मिलावट के संबंध में कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार ने पेट्रोल के अनेक नूमनों की समय-समय पर परीक्षण करने की ऐसी कोई कार्रवाई की है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

श्री राम नाईक: यह काम-मुख्यतया उसकी मॉनिटरिंग, उसमें एक्शन लेने का काम राज्य सरकारें करती हैं और इसलिए इस प्रकार के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन वहां जाकर भी जांच की जाए इसके लिए केन्द्र सरकार ने 50 मोबाइल लेबारेटरीज की स्थापना की है। उसके जरिए वह भी काम होता रहता है।

डॉ. प्रभा ठाकुर: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या पेट्रोल में नाफ्था की मिलावट सरकार द्वारा उचित मानी गई है और यह मिलावट कितने प्रतिशत की जाती है और इसमें नाफ्था की मिलावट की आवश्यकता किसलिए है?

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, पेट्रोल में नाफ्था की मिलावट करना कानूनन अपराध है और इसीलिए कार्यवाही होती है। नाफ्था आसानी से पेट्रोल में मिश्रित किया जा सकता है क्योंकि नाफ्था सस्ता है और इसलिए इसकी पेट्रोल में मिलावट होती है। पेट्रोल में नाफ्था की मिलावट को कोई मान्यता नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर हम एक्शन भी लेते रहे हैं। इनकी कीमतों में काफी अंतर है। आप देखिए, नाफ्था 17 रुपये प्रति लीटर मिलता है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 32.70 पैसे प्रति लीटर है। इसकी कीमतों में अंतर ज्यादा है इसलिए चोरी करने वाले लोग ऐसा करते रहते हैं।

डॉ. प्रभा ठाकुर: सभापति महोदय, इसीलिए यह सवाल पूछा है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। केरोसीन की इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण 2000 से लेकर 2003 तक में सफेद केरोसीन का इम्पोर्ट .30 मिलियन से लेकर .69 मिलियन टन हो गया है। हमारे यहां पेट्रोल में

केरोसीन न मिलाया जाए इसलिए केरोसीन में नीला रंग मिलाया जाता है। यह जो इम्पोर्टिड केरोसीन होता है यह सफेद रंग का होता है और इसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। क्या आपने इसकी ओर गौर फरमाया है?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि पूरे नार्थ इंडिया में पाल्युशन सैल ने जो सर्वे किया उसमें 22 प्रतिशत आउटलेट्स में अडल्ट्रेशन पाया गया और सात प्रतिशत आउटलेट्स में कम मापदंड पाया गया यानी कैलिब्रेशन करके कम तेल दिया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, यह बात सही है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है और विदेश से जो मिट्टी का तेल आता है उसमें से ज्यादा होती है। इसीलिए हमने कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ इसके बारे में चर्चा की थी और उन्होंने अभी 27 नवम्बर को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके आधार पर अब डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं होगा और केवल तेल कम्पनियां आयात कर सकेंगी। मुझे आशा है कि जब तेल कम्पनियां उपयोग करने वाले लोगों को ही मिट्टी का तेल बेचेंगी तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आयेगी। जहां तक कुछ आंकड़े माननीय सदस्य ने दिए हैं, उनकी तफसील वे मुझे दे देंगे फिर मैं उनको देखकर, हम क्या कर सकते हैं, वह कार्यवाही करूंगा।

Scheme for Filing Income Tax Returns

*209 SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the operation of the recently introduced limited scheme for filing Income Tax returns electronically, by assessees whose only source of income is salaries, through six specified banks, in seven cities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps being taken, if any, to broad-base the scheme to include other categories of assessees also and to expand the facility to include more banks and more cities across the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.